न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र नजरसानी / 79 / 2018

इन्द्राज सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत करीली 1/2 कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

. ... प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.... अप्रार्थी

उपस्थितः–
1–श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अपीलान्ट
2–प्रवर्तन अधिकारी,पेरोकार रसद

प्रार्थना पत्र नजरसानी

निर्णय

दिनांक 18.06.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अंकित किया है कि उनबानी इन्द्राज सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी, भरतपुर अपील दिनांक दिनांक 04.0.6.2018 को सुनवाई हेतु पेशी मे नियत थी। परन्तु अपीलांट अधिवक्ता वक्त पेशी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाये। और अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपील का निर्णय न्यायालय श्रीमान द्वारा रेस्पोडेन्ट पेरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित कर अपील खारिज कर दी। जबकि आदेश 41 नियम 17 जा.दी. के स्पष्टीकरण में स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय अपीलांअ की अनुपस्थति में अपील को गुणावगुण के आधार पर खारिज नहीं कर सकते। न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.0.6.2018 को रिव्यू कर खारिज कर दिया जावे। एवं अपील का फैसला दोनों पक्षों की बहस सुनकर किये जाने के आदेश फरमावें।

अपीलांट वकील ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट व अपीलांट अभिभाषक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सका और अभिभाषक अपीलान्ट की अनुपस्थित में रेस्पो. पैरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित कर अपील खारिज कर दी गई है जो नियमों के विपरीत है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने आदेश 41 नियम 17 सीपीसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये प्रार्थना नजरसानी स्वीकार कर अपील पुनः नम्बर लेकर हमें सुना जाकर गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जावे।

पेरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट व अपीलांट के अभिभाषक को बहस हेतु कई मोके दिये गये एवं दिनांक 04.06.2018 को अपीलांट या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। माननीय न्यायालय ने रेस्पो. पैरोकार रसद की बहस सुनी जाकर, अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित कथनों एवं पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात के आधार पर ही गुणावगुण के आधार निर्णय किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नजरसानी में ऐसे कोई तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे पारित निर्णय प्रभावित होता हो। प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि प्रार्थना पत्र नजरसानी स्वीकार किया जाकर अपील पुनः नम्बर पर लेकर उसे सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। प्रार्थी ने अपने नजरसानी प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे मूल अपील में पारित निर्णय प्रभावित होता/**निर्णय** में त्रुटि प्रतीत होती हो। मूल अपील संख्या 19/17 एवं पारित निर्णय दिनांक 04.0.6.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है मूल अपील में पारित निर्णय अपील में कथनों एवं पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड पत्रादि के अध्ययन के बाद ही गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने कोई नये तथ्य हमारे समक्ष पेश नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज योग्य रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official